राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 18/2024
सीoसीoएमoएसo संख्या– 2024/132
दायर दिनांक– 11.7.2024
निर्णय दिनांक– 28.11.2024
उनवानी–

1. कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. माधूराम पुत्र भूरा जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. कंवरी पत्नि स्वo गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
4. रामकरण पुत्र स्वo गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
5. घासी पुत्र स्वo गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
6. चन्दा पत्नि स्वo प्रभु पुत्र स्वo गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर तहo रूपनगढ़ जिला अजमेर
7. महेन्द्र पुत्र स्वo प्रभु नाबालिग जाति जाट जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता निo ग्राम पनेर
8. अंजू पुत्री स्वo प्रभु नाबालिग जाति जाट जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता निo ग्राम पनेर
9. सुप्यार देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर
10. प्रेम देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निo ग्राम पनेर
11. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री ध्रुवसिंह चौधरी अधिo प्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खoनo 1277/174 रकबा 1.5613 हैo वाकै ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के संयुक्त कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी खoनo 172 रकबा 0.3155 हैo तथा खoनo 173 रकबा 0.0647 हैo, खoनo 959/174 रकबा 0.0242 हैo वाकै ग्रम पनेर में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी 3 से 10 तक का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा निहित है। वाद वर्णित आराजी खoनo 1277/174 की अराजी अपने सगे भाई अप्रार्थी संख्या 1 के भाई बंटवारा की डिकी पारित की गयी थी जिसे वाद बंटवारा उक्त आराजी प्राप्त हुई। वादी के सगे भाई अप्रार्थी संख्या 1 की हिस्से की आराजी दक्षिण दिशा में खoनo 1278/174 स्थित है तथा खoनo 171 की आराजी गैoमुo रास्ता है जो प्रार्थी की आराजी से उत्तर दिशा में सटा कर स्थित है जो कि अप्रार्थी 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, रूपनगढ़ में निहित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पश्चिमी दिशा की ओर सटा कर खoनo 173 गैoमुoचाह व खoनo 959/174 रास्ता अंकित है जो शामलाती रास्ता है जो प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 10 तक के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में अंकित है तथा उक्त गैoमुo चाह व रास्ते के बाद पश्चिम दिशा में सटा कर खoनo 172 की आराजी गैoमुo आबादी [illegible] 10 तक के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी में स्थित है। इस कारण [illegible] 1 लगायत 10 को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी [illegible] खoनo 1277/174 की पूर्व दिशा में खoनo 1278/174 [illegible] व नक्शा ट्रेस में अंकित है। इस कारण पक्षकार अप्रार्थी [illegible] आवश्यक हुआ है। प्रार्थी [illegible] कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खoनo 1277/174 [illegible] आराजी का सीमाज्ञान दि[illegible].2024 को तहसीलदार रूपनगढ़ के आदेशानुसार पटवारी हल्का पनेर द्वारा किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के हस्ताक्षर मौके पर खाली कागज पर करा लिये गये उसके बाद मौका पर्चा तैयार किया गया तथा उक्त मौका पर्चा में यह कथन गलत व निराधार अंकित किये गये है कि प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

खातेदारी की आराजी 1277/174 की सीमाओं का सीमाज्ञान से प्रार्थी संतुष्ट है बल्कि प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है। राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी की उक्त ख0न0 की आराजी पूर्ण नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा वाद अधिन आराजी ख0न0 1277/174 वाकै ग्राम पनेर की आराजी की पत्थरगढी कराये जाने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 11 के यहां प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी रहन होने के कारण पक्षकार बनाया हुआ है। मृतक गोपीराम पुत्र भूरा तथा प्रभु पुत्र गोपीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनका विरासत नानान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अभी तक नहीं खोला गया है इस कारण अप्रार्थी संख्या 3 से 10 गोपीराम पुत्र भुरा तथा प्रभु पुत्र गोपीराम के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 12 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी ख0न0 1277/174 वाकै ग्राम पनेर की मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे जिससे प्रार्थी की आराजी की सीमायें वास्तविक स्थिति में निर्धारित की जा सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी व पत्रावली में संलग्न दस्तवेजात् का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने बहस के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रश्नगत आराजी मौके पर वास्तविक नाप में नही है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश प्रदान करावे जिससे प्रार्थी की आराजी की वास्तविक स्थिति निर्धारित की जा सके।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के ख0न0 1277/174 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

महिमा कासाना
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)